जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

कार्यालय आदेश

जीविका संपोषित निम्न पांच चयनित संकुल स्तरीय संघ (CLF) कार्यालय परिसर में पायलट परियोजना के रूप में **'जीविका दीदी का पुस्तकालय'** शुभारंभ शनिवार 22 अक्टूबर 2022 को किया जाना है।

क्र. सं.	जिला	प्रखंड	संकुल स्तरीय संघ (CLF)
1.	गया	डोभी	सागर जीविका संकुल स्तरीय संघ, कंजियार
2.	गया	खिजरसराय	सत्यम जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, आईमा
3.	मुजफ्फरपुर	मुसहरी	संगम जीविका संकुल स्तरीय संघ, खबड़ा
4.	जमुई	सदर	स्वाभिमान जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, खरगौर
5.	मुंगेर	धरहरा	सक्षम जीविका महिला विकास स्वाबलंबी सहकारी समिति लीं., धरहरा

प्रस्तवित 'जीविका दीदी का पुस्तकालय' की रूपरेखा:

'जीविका दीदी का पुस्तकालय' संकुल स्तरीय संघ (CLF) कार्यालय परिसर में स्थापित किया जायेगा। इसका स्वामित्व, रखरखाव, संचालन एवं प्रबंधन संबंधित संकुल स्तरीय संघ (CLF) के द्वारा जीविका दीदियों के सहयोग से द्वारा किया जाना है।

'जीविका दीदी का पुस्तकालय' का उद्देश्य:

1. जीविका दीदी का पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य संकुल स्तरीय संघ (CLF) के कार्यक्षेत्र अंतर्गत गांवों में निवासरत जीविका दीदियों एवं उनके परिवार के शिक्षार्थियों के ज्ञान को व्यापक बनाने हेतु संबंधित विभिन्न उपयोगी अध्ययन सामाग्री, जीविकोपार्जन में सहयोगी व्यवसायोपयोगी एवं साहित्यिक पुस्तकें आदि सहित डिजिटल शिक्षण सामाग्री से ज्ञानार्जन में सहायता करना है।

2. सामुदायिक भागीदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय संस्कृति बढ़ावा देना और जीविका दीदियों के परिवार के शिक्षार्थियों के बीच पढ़ने की संस्कृति को विकसित करना।

3. जीविका दीदियों के परिवार में शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजिटल शिक्षण संसाधन प्रदान करके शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटना।

4. जीविका दीदियों एवं उनके परिवार के शिक्षार्थियों को समुदाय के जागरूप एवं शिक्षित नागरिक के माध्यम से प्रेरित और प्रोत्साहित करना ।

'जीविका दीदी का पुस्तकालय' अंतर्गत संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियां:

1. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सदस्यों एवं उनके परिवार के विद्यार्थियों से अच्छी एवं उपयोगी किताबों का लेन-देन: ग्रामीण क्षेत्र में जीविका दीदियां एवं उनके परिवार के विद्यार्थी अनेक पुस्तके के निजी तौर पर क्रय नहीं कर सकते अथवा स्थानीय बाजार में अच्छी एवं उपयोगी अनुउपलब्ध होता है। पुस्तकालय के सदस्य निर्धारित समयावधि के लिए निःशुल्क पुस्तकें निर्गत कराकर पढ़ सकते है।

2. कक्षा दसवीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत जीविका दीदी के परिवार के विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार टर्न दी बस ऐप सहित अन्य डिजिटल शिक्षण सामाग्री उपलब्ध कराया जायेगा।

3. किसी कारण से से पढ़ाई बाधित होने या छूट जाने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अन्य दूरस्थ शिक्षण संस्थानों में नामांकन कराकर दसवीं, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि की पढ़ाई पूरी करने हेतु उत्प्रेरण एवं सहयोग किया जायेगा।

4. जीविका दीदी का पुस्तकालय द्वारा सावधिक रूप से विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे प्रतिभा-सम्मान, वाद-विवाद, कवितापाठ, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

5. नवोदय विद्यालय, सिमतुल्ला विद्यालय, सैनिक विद्यालय, कस्तूरबा ग़ांधी विद्यालय सहित अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों आदि के प्रवेश परीक्षा हेतु समुदाय में प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

6. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) एवं नेशनल मीन्स कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) की परीक्षा का समुदाय में प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

'जीविका दीदी का पुस्तकालय' स्थापना हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना एवं सामाग्री की उपलब्धता:

'जीविका दीदी का पुस्तकालय' स्थापना हेतु संबंधित संकुल स्तरीय संघ (CLF) अंतर्गत उपलब्ध संसाधन जैसे कार्यालय परिसर, टेबल, कुर्सी, अलमीरा आदि आधारभूत संरचना एवं सामाग्री उपयोग किया जायेगा।

शिक्षा संबंधित पहल में जीविका का सहयोगी संगठन, आई-सक्षम एजुकेशन एंड लर्निंग फाउंडेशन (आई-सक्षम) द्वारा प्रारंभिक रूप से पुस्तकें, टैबलेट, हेडफोन एवं अन्य शैक्षणिक सामाग्री संबंधित सीएलएफ को उपलब्ध कराकर आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा ।

'जीविका दीदी का पुस्तकालय' के संचालन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी एवं कार्यविवरण:

1. 'जीविका दीदी का पुस्तकालय' अंतर्गत संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियां के सुचारू संचालन एवं प्रबंधन का दायित्व संबंधित संकुल स्तरीय संघ (CLF) में कार्यरत मास्टर-बुककीपर (MBK) एवं क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) का होगा। विभिन्न पुस्तकें, शैक्षणिक सामाग्री एवं डिजिटल लर्निंग हेतु एवं टैबलेट का सदुपयोग, रखरखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी मास्टर-बुककीपर (MBK)/ क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) का होगा।

2. संबंधित सीएलएफ पदधारियों एवं सामाजिक कार्य उपसमिति के सदस्यों द्वारा उक्त कार्यों मे सक्रिय सहयोग किया जायेगा। सीएलएफके मासिक बैठकों एवं कैडर समीक्षा बैठक में एजेंडा के रूप में 'जीविका दीदी का पुस्तकालय' अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियां पर चर्चा कर संबंधित सभी ग्राम संगठनो की पदधारियों और कैडरों से समुदाय में सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु प्रचार-प्रसार एवं सहयोग किया जायेगा।

3. संबंधित सीएलएफ के नोडल एवं एंकर पर्सन द्वारा नियमित रूप से 'जीविका दीदी का पुस्तकालय' अंतर्गत संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियां के सुचारू संचालन एवं प्रबंधन हेतु आवश्यक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण करेंगे।संबंधित प्रखड परियोजना प्रबधंक द्वारा उक्त कार्यों मासिक रूप से प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा कर आवश्यक कारवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

4. जिला स्तर पर संबंधित प्रबंधक/प्रभारी/यंग प्रोफेशनल-सामाजिक विकास द्वारा 'जीविका दीदी का पुस्तकालय' अंतर्गत संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियां के सुचारू संचालन एवं प्रबंधन हेतु समेकित रूप से समन्वय करेंगे।

5. संबंधित जिला परियोजना प्रबधंक द्वारा उक्त कार्यों का सावधिक रूप से सदस्यों द्वारा पुस्तकालय से जुड़ाव एवं डिजिटल शिक्षण सामग्रियों का उपयोगिता एवं पुस्तकालय के संचालन अवधि आदि बिंदुओं पर संकुल स्तरीय संघ के साथ मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे।

संबंधित जिला परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि चयनित संकुल स्तरीय संघ (CLF) कार्यालय परिसर में पायलट परियोजना के रूप में '**जीविका दीदी का पुस्तकालय**' के स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन संबंधित उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(राहुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, सभी परियोजना समन्वयक, मुख्य वित्त पदाधिकारी, प्रशासी पदाधिकारी, अधिप्राप्ति विशेषज्ञ।
2. सभी राज्य परियोजना प्रबंधक, सभी राज्य वित्त प्रबंधक, सभी परियोजना प्रबंधक, सभी सहायक वित्त प्रबंधक।
3. संबंधित सभी जिला परियोजना प्रबधंक, प्रबंधक/प्रभारी/यंग प्रोफेशनल-सामाजिक विकास / संचार प्रबंधक प्रखंड परियोजना प्रबंधक।
4. सूचना एवं तकनिकी अनुभाग।
5. सम्बंधित संचिका।